# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 203/2015

अजमेर सिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति रामगढिया निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर। —— अपीलांट

बनाम

1. अर्शदीप कौर | पिसरान अमृतपाल सिंह नाबालिगान जरिये रविन्द्रपाल कौर
2. गुरमनदीप सिंह | पत्नी अमृतपाल सिंह जाति रामगढिया निवासी मिर्जेवाला वर्तमान निवासी ढींगावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. रविन्द्रपाल कौर पत्नी अमृतपाल सिंह जाति रामगढिया निवासी मिर्जेवाला वर्तमान निवासी ढींगावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. बूटासिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति रामगढिया निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर/ उप पंजीयक मिर्जेवाला तसहील व जिला श्रीगंगानगर। ——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राज. काश्त.अधि 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 15.07.2015

**उपस्थितिः—**

श्री इन्द्रजीत बिश्नोई , अभिभाषक अपीलांट
श्री मोहनलाल छावडा , अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 से 3
श्री लखवीर सिंह अभिभाषक रेस्पों. सं. 4
श्री इकबाल सिंह सिद्धू राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक :— 17.11.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/रेस्पों. सं. 3 ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया जिसके साथ राज.काश्त.अधि. की धारा 212 का प्रा.पत्र पेश कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध वाद के निर्णय तक चक 10 एफ बडा के खाता सं. 2/4 , चक 9 एफ बडा के खाता सं. 3/8, 4/7, 12/15, 102/90 की उनके नाम से आराजी में किसी प्रकार से

17/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

रहन, बैय व मुन्तकिल नहीं करने से एवं वादीगण के 1/3 हिस्सा के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं करने एवं उनको बेदखल नहीं करने से पाबन्द किया जावे।

उक्त प्रा.पत्र का जबाब अप्रार्थीगण ने पेश कर प्रा.पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 15.07.2015 को प्रा.पत्र स्वीकार करते हुए 1/3 हिस्सा की प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि में अप्रार्थीगण को हस्तक्षेप नहीं करने का आदेश दिया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने अधी. न्यायालय में जबाब पेश किया जिसके तथ्यों पर अधी. न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया। अधी. न्यायालय के समक्ष मूल वाद एवं जबाबदावा की प्रति मौजूद थी जिसपर भी अधी. न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया। अपीलांट ने अपने जबाब दावा के साथ बैयनामों की नकलें पेश की थी जिससे साबित है कि विवादित भूमि अपीलांट की खरीदशुदा है एवं पैतृक सम्पत्ति नहीं है। अधी. न्यायालय ने धारा 212 आर.टी.ए. के तीनों बिन्दुओं का कोई विवेचन नहीं किया। इस प्रकार अधी. न्यायालय द्वारा प्रा.पत्र स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में प्रा.पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पों. के जो कब्जा काश्त एवं हिस्सा की भूमि है। उसके सम्बन्ध में अधी. न्यायालय में दावा व धारा 212 आर.टी.ए का पेश किया है जो अधी. न्यायालय ने स्वीकार करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 15.07.2015 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अधी. न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। अतः अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

17/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट को अत्यन्त वृद्ध बताकर उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं होने से उसे पाबन्द किया है, दूसरी तरफ अधी. न्यायालय की पत्रावली आदेशिका से यह प्रमाणित है कि निर्णय Ex-party किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड सन्दर्भ जमाबन्दियों जिसमें अपीलांट खातेदार है का भी विवेचन अधी. न्यायालय द्वारा नहीं किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधी. न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.07.2015 अपास्त कर इस निर्देश के साथ प्रकरण रिमाण्ड किया जाता है कि दोनों पक्षों को सुनकर अपीलांट का जबाब रिकार्ड पर लेकर दुबारा निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर